

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(56)नविवि / 3 / 2011

जयपुर, दिनांक ११ JUN 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक: प.10(56)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 16.04.2013 द्वारा अधिसूचित धौलपुर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, धौलपुर की निकाय की बैठक दिनांक 16.02.2022 के निर्णयानुसार जोनल डवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत धौलपुर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित किये गये कुल 03 संशोधनों में से नवीन प्रस्तावित 120 फीट (36 मीटर) चौड़ी बाड़ी सैपऊ लिंक रोड को नगर नियोजन विभाग के प्रस्तावानुसार यथावत रखते हुए अन्य संशोधनों के क्रम नगर परिषद, धौलपुर के प्रस्तावानुसार धौलपुर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त धौलपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर परिषद, धौलपुर में किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की अप्ज्ञा से

30/5/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, धौलपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
11. आयुक्त, नगर परिषद, धौलपुर।
12. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

।।